

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'बी'/ग्रेड 'I')
सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

सं. एफ. 9/2/2022-प.I(ख) अग्रलिखित पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं की चयन सूचियों में नाम शामिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 11 मार्च, 2023 से चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा नागपुर में आरंभ होने वाली यह परीक्षा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 9 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी। प्रत्येक श्रेणी की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों के अंतिम चयन का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन 36012/16/2019-स्था.(आर.) दिनांक 12.04.2022 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 629/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यर्थीन किया जाएगा।

उपर्युक्तानुसार परीक्षा आयोजित करने के केन्द्रों तथा तारीखों में आयोग के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि पूरा प्रयास किया जाएगा कि उम्मीदवारों को उनकी पसंद का केन्द्र आबंटित किया जाए, परंतु परिस्थितिवश आयोग द्वारा उम्मीदवार को कोई अन्य केन्द्र भी आबंटित कर सकता है। परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को समय-सारणी तथा परीक्षा के स्थल या स्थलों की जानकारी प्रदान की जाएगी। यह नोट कर लिया जाए कि आशुलिपिक (ग्रेड-बी/ ग्रेड-I) श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ~~लिखित परीक्षा~~ तथा आशुलिपि का परीक्षण केवल दिल्ली केंद्र पर ही देना होगा।

2. उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओं के अंतर्गत भर्ती की जानी है वे नीचे दी गई हैं। हालांकि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या फिलहाल संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नहीं की गई हैं अतः इस चरण में इस नोटिस में इसका कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता।

- श्रेणी I केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड
- श्रेणी II भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड
- श्रेणी III रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड
- श्रेणी IV केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड
- श्रेणी V भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का निजी सचिव ग्रेड
- श्रेणी VI सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' तथा 'ख'
- श्रेणी VII रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'
- श्रेणी VIII आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड
- श्रेणी IX कर्मचारी राज्य बीमा निगम का निजी सचिव ग्रेड
- श्रेणी X सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी
- श्रेणी XI कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक/ अनुभाग अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड-I

3. एक से अधिक श्रेणी के लिए पात्र ऐसे उम्मीदवार जो दोनों श्रेणियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा देने के इच्छुक हैं, केवल एक ही आवेदन भरें।

नोट : उम्मीदवार अपने आवेदनों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि वे किस श्रेणी/श्रेणियों के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं। दो श्रेणियों के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपने आवेदन में अपनी वरीयता के अनुसार दोनों श्रेणियों का उल्लेख करें। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में पहले से उल्लिखित वरीयताओं में कुछ जोड़ने/संशोधन करने के संबंध में आयोग किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

4. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

उम्मीदवारों को अपना आवेदन संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर ऑनलाइन भरना होगा। यदि किसी आवेदक ने एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही दिया गया है, पर अभी तक पंजीकरण नहीं किया है, तो वह इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करें और तत्पश्चात् परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करें।

ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में विस्तृत अनुदेश संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन की एक मुद्रित प्रति को अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से आयोग कार्यालय भिजवाना होगा। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन 9 नवम्बर, 2022 2022 से 29 नवम्बर, 2022 (सांय 6.00 बजे

तक) भरे जा सकेंगे, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। उम्मीदवारों के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, जो कि 29 नवम्बर, 2022 है, तक ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति होनी चाहिए। आवेदन की मुद्रित प्रति, उचित माध्यम से, आयोग में प्राप्त होने की अंतिम तारीख 15 दिसम्बर, 2022 है। पूर्ण रूप से भरी मुद्रित प्रति विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत सत्यापित किए जाने के बाद निर्धारित तारीख तक या उससे पहले अवर सचिव (प-VI), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 110069 तक पहुंच जानी चाहिए।

इस परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र, परीक्षा आरंभ होने से तीन सप्ताह पहले संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर अपलोड कर दिए जाएंगे और पात्र उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। आयोग द्वारा कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास डाउनलोड किया गया ई-प्रवेश पत्र नहीं होगा तो उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना मान्य तथा सक्रिय ई-मेल आईडी भी भरें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल कर सकता है।

नोट : उक्त परीक्षा में केवल ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश दिए जाने पर विचार किया जाएगा, जिनके ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित की गई है। उम्मीदवार यह भी नोट कर ले कि किसी भी कारण से आवेदन प्राप्त नहीं होने या विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। उचित माध्यम से आयोग में आवेदन की मुद्रित प्रति प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा और विलंब से प्राप्त हुए सभी आवेदनों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। अतः उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी संगत प्रविष्टियों के सत्यापन तथा आवेदन पत्र के अंत में अनुमोदन के उपरांत उनके आवेदन उनके विभाग या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित होकर निर्धारित अंतिम तारीख तक या उससे पहले आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जाए।

ओम प्रकाश¹
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

अनुबंध

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे नोटिस तथा नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले और यह देख लें कि क्या वे पात्र हैं। परीक्षा के लिए निर्धारित शर्तों में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले उम्मीदवार नोटिस के पैराग्राफ 1 में दिए गए केंद्रों में से उस केंद्र का चयन कर लें जहां वे यह परीक्षा देने के इच्छुक हैं।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र पर उल्लिखित केंद्र से इतर किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसके पेपरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वह परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के प्रयोजनार्थ पात्रता की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। आयोग द्वारा संगत परीक्षा के सभी चरणों अर्थात् लिखित परीक्षा तथा सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में उनका प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा और इस शर्त के अध्यधीन होगा कि वे पात्रता की निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। यदि लिखित परीक्षा या सेवा अभिलेख के मूल्यांकन से पहले या उसके बाद, किसी भी समय सत्यापन पर, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

3. उक्त परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को परीक्षा देते समय अपने ई-प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ-साथ अपना सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा सभी स्थानों पर किए गए हस्ताक्षर, अर्थात् आवेदन पत्र पर, उपस्थिति सूची में तथा आयोग के साथ सभी पत्राचार में, एक

समान हों और इन हस्ताक्षरों में किसी प्रकार का कोई अंतर न हो। यदि विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है, तो आयोग द्वारा संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. उम्मीदवार यह भी नोट करें कि आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि में किसी भी परिवर्तन के संबंध में उनसे प्राप्त किसी पत्रादि पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। चूंकि आवेदन पत्र कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस किए जाते हैं, अतः उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र को सही प्रकार से भरने में पूरी सावधानी बरतें।

6. उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति अपने विभाग के अध्यक्ष अथवा कार्यालय के अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करें जो सभी संगत प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे और आवेदन पत्र के अंत में अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी करके इसे आयोग को अग्रेषित कर देंगे।

7. उम्मीदवार उक्त परीक्षा देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से कोई यात्रा भत्ता पाने के पात्र नहीं होंगे।

8. किसी आवेदन के संबंध में सभी पत्रादि अवर सचिव (प-VI), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 110069 को संबोधित होने चाहिए और इनमें निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए :

- (1) परीक्षा का नाम
- (2) परीक्षा का माह और वर्ष
- (3) पंजीकरण आईडी [आरआईडी]/जन्मतिथि/ अनुक्रमांक, यदि आबंटित किया गया हो
- (4) उम्मीदवार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) तथा
- (5) वैध एवं सक्रिय ई-मेल आईडी

नोट (1)- उपर्युक्त विवरण के बिना प्राप्त हुए पत्रादि पर संभव है कि कार्रवाई न की जाए।

नोट (2)- यदि परीक्षा का आयोजन हो जाने के बाद किसी उम्मीदवार से कोई पत्र प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम तथा अनुक्रमांक प्रदान न किया गया हो तो ऐसे पत्र पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

9. पते में परिवर्तन - उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन पत्र में दिए गए पते पर उन्हें भेजे गए पत्र आदि भली-भांति रीडायरेक्ट हो जाएं, यदि आवश्यक हो। यदि पते में कोई परिवर्तन हुआ हो तो इसकी सूचना आयोग को यथाशीघ्र प्रदान की जाए। हालांकि आयोग इस प्रकार हुए परिवर्तन के संदर्भ में हरसंभव प्रयास करता है, परंतु इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 09 नवम्बर, 2022

नियम

सं. 6/2/2022 सीएस। (पी) खण्ड-। - निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-'I') हेतु चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2018 के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-।) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ग I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग II

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग III

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग VI

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' तथा 'ख'

वर्ग VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IX

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव ग्रेड

वर्ग X

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी

वर्ग XI

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक/ अनुभाग अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड-I

1. प्रत्येक ग्रेड/सेवा हेतु चयन सूची में शामिल करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों का अंतिम चयन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय जापन संख्या 36012/2016/2019-स्था.(आर.) के तहत जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 2022 की 629 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन किया जाएगा तथा परिणाम घोषित किया जाएगा। श्रेणी III (अर्थात् रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड) के संबंध में सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वरीयता सूची को चुनौती दी गई है। वर्ष 2018 के लिए, श्रेणी-III का परिणाम माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष लंबित न्यायालयी भास्तवों (ओ.ए संख्या 114/2022) के निर्णय तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वरीयता सूची में संशोधन, यदि कोई हो, के अध्यधीन अनन्तिम होगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। परीक्षा की तारीख और स्थान का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

3. नीचे कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड और सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो पात्रता की निर्णायक तिथि (जैसाकि नीचे उल्लिखित है) को कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि और शैक्षिक योग्यता, आदि से संबंधित शर्त पूरी करते हैं, कॉलम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि

1 जुलाई, 2018 2018 की परीक्षा के लिए

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड 'ग')	<p>केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के वैयक्तिक सहायक के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष हो।</p> <p>एकबारगी विशेष अनुमति के रूप में, चयन सूची 2003 (विस्तारित) के ऐसे सभी वरिष्ठ सचिवालय सहायक जिनके पास अपेक्षित 4 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एसएसए/एएसओ ग्रेड में) हैं, भी अनुबंध-V के अनुसार परिवचन प्रस्तुत करने के अध्यधीन परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं।</p>	वर्ग I
भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' का सामान्य संवर्ग का सहायक ग्रेड, आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड और साईफर उप संवर्ग का सहायक साईफर ग्रेड	सामान्य संवर्ग के सहायक ग्रेड/ साईफर संवर्ग के सहायक साईफर ग्रेड/ आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री होनी चाहिए तथा ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण किया होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों।	वर्ग II
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'/ वैयक्तिक सहायक ग्रेड ।	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग'/ वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग III

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त हो।	वर्ग IV
भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड	आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित सेवा 5 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण किया होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों।	वर्ग V
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VI
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VII
आसूचना ब्यूरो का सहायक ग्रेड/आसूचना ब्यूरो का आशुलिपिक सेवा ग्रेड -II	प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अथवा एलडीसीई आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, ग्रेडों में नियुक्त अधिकारियों के मामले में आसूचना ब्यूरो में स्थायी या नियमित नियुक्त अस्थायी सहायक/आशुलिपिक ग्रेड-II (वैयक्तिक सहायक) जिनकी अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो बशर्ते उस वर्ष जिसमें अनुभाग अधिकारी एलडीसीई परीक्षा का आयोजन हुआ हो 1 जुलाई से 5 वर्ष पूर्व न हुआ हो अथवा उस वर्ष जिसमें अनुभाग अधिकारी ग्रेड एलडीसीई आयोजित हुआ हो की 1 जुलाई को अपने संबद्ध फ़िडर ग्रेड में वरिष्ठता के आधार पर ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के मामले में अनुमोदित तथा	वर्ग VIII

	लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हों, परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	वर्ग IX
सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी	सशस्त्र बल मुख्यालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 05 वर्ष से कम अनुमोदित एवं निरंतर सेवा न हो।	वर्ग X
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड-II/ अधीक्षक ग्रेड के कर्मचारी	ग्रेड वेतन 4600/- रूपये सहित वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रूपये सहित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड-II/ अधीक्षक ग्रेड के कर्मचारी	वर्ग XI

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार (वर्ग I, वर्ग II, वर्ग IV, वर्ग V में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार को छोड़कर) उपरोक्त कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त किया गया है, तो ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख तक कम से कम 4 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

बशर्ते कि परीक्षा की श्रेणी-IV और श्रेणी-IX के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाला यदि कोई उम्मीदवार, किसी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड में नियुक्त हो जाता है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख की स्थिति के अनुसार, कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा निरंतर सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1. ऊपर के कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के वे स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा, कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

तथापि यह कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें उनके सम्बन्धित ग्रेड में संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में “स्थानान्तरण” पर

कॉलम 1 में संदर्भित अपने संबंधित ग्रेडों तथा सेवाओं में नियुक्त किया गया हो (चाहे वे कोई धारणाधिकार (लियन) रखते हों या नहीं रखते हों)।

टिप्पणी 2 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वे वर्ग-I और वर्ग-IV के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे वर्ग-II और वर्ग-V के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 4- वर्ग-I के संबंध में, चयन सूची 2003 (विस्तारित) के वरिष्ठ सचिवालय सहायकों के मामले में 05 वर्ष की अनुमोदित सेवा के प्रावधान, जिसमें 4 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एसएसए/एएसओ ग्रेड में) होनी अपेक्षित हैं, परीक्षा में शामिल होने के लिए, अनुबंध-III के अनुसार परिवचन प्रस्तुत करने के अध्यधीन छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है;

i. चयन सूची-2003 (विस्तारित) हेतु वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड की सामान्य वरीयता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक तथा तत्पश्चात् लंबित रिट याचिकाओं पर अंतिम निर्णय के आधार पर 2013 से आगे के वर्षों के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के अंतिम निपटान के उपरांत दाखिल किसी अन्य न्यायालयी मामले के आधार पर भी, परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को परीक्षा में उनकी पात्रता/ चयन के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

ii. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा(ओं) के अंतिम परिणाम की घोषणा, वर्ष 2013 के लिए सहायक अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात की जाएगी, जो कि परीक्षा में शामिल होने की पात्रता के अंतिम निर्धारण के अध्यधीन होगी, जिसका निर्धारण लंबित रिट याचिकाओं पर दिए गए निर्णय के परिणाम के बाद किया जाएगा।

iii. यह कि, लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के उपरांत वरीयता कोटा के तहत वर्ष 2013 के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची तैयार की जाएगी और तदनुसार, जिन

अधिकारियों के नाम सहायक अनुभाग अधिकारी चयन सूची-2013 में होंगे और जिन्होंने वर्ष 2018 की अनुभाग अधिकारी/ पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके चयन को वैध माना जाएगा।

iv. अनुभाग अधिकारी/पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2018 के परिणाम की घोषणा, 'पदोन्नति में आरक्षण' तथा अपनी योग्यता मामले के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित एसएलपी संख्या 30621/2011 तथा 31288/2017 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन भी है।

4. जो उम्मीदवार दोनों वर्गों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र है तथा वह इस विकल्प का इस्तेमाल करता है तब उसे अपने आवेदन में उस वर्ग के वरीयताक्रम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वह पात्र है और विचार किए जाने का इच्छुक है। आयोग, आवेदक द्वारा पहले से प्रस्तुत वरीयता में किसी प्रकार का परिवर्तन/जोड़/बदलाव करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवार वर्ग संख्या का चयन सावधानी से करें क्योंकि संशोधन/गलत संयोजन पर विचार नहीं किया जाएगा/अनुमति नहीं होगी और उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। यह भी ध्यान दें कि किसी भी उम्मीदवार का चयन किसी भी ऐसी श्रेणी के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से विकल्प नहीं चुना है।

5. किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-

- (i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, नामश:
 - (क) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या
 - (ख) दबाव डालना, या
 - (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
- (ii) प्रतिरूपण, अथवा

- (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य कराया है, अथवा
- (iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगड़ा गया हो, अथवा
- (v) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।
- (vi) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा
- (vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, नामतः
 - (क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;
 - (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;
 - (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना; अथवा
- (viii) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना या प्रयोग किया जाना; अथवा
- (ix) उत्तर पुस्तिका(ओं) पर भद्री बातें या भद्रे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री लिखना; अथवा
- (x) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा
- (xi) परीक्षा आयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा
- (xii) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच इत्यादि जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा
- (xiii) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों में से किसी का भी उल्लंघन किया है; अथवा
- (xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे :
 - (क) आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा जिसमें वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा
 - (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए-
 - (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से विवर्जित किया जाएगा।
 - (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।
 - (ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया जाए।

7.1 कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

8. (i) परीक्षा के उपरांत, उम्मीदवारों पर संबंधित वर्ष हेतु उनकी पात्रता के अध्यधीन वर्ष 2018 की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा और आयोग द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा के प्रत्येक पेपर/भाग हेतु अहंक मानकों के अध्यधीन प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम तौर पर दिए गए कुल अंकों के माध्यम से यथानिर्धारित योग्यता क्रम में आयोग द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2018 के लिए श्रेणी I का परिणाम सम्यक अनुक्रम में घोषित किया जाएगा जो कि सहायक अनुभाग अधिकारी चयन सूची (एसक्यू) 2013 को अंतिम रूप दिए जाने के अध्यधीन होगा।

संबंधित चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए वर्षवार और श्रेणीवार योग्यताक्रम (मेरिट) की सूचियां, रिक्तियों का योग्यताक्रम (मेरिट) संख्या, उम्मीदवार की मेरिट तथा उम्मीदवार द्वारा दर्शाये गए विकल्प (पात्रता के अनुसार, वर्ष और वर्ग की वरीयता) तथा अन्य सभी पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने के आधार पर होगी। आयोग के पास परीक्षा के किसी या सभी स्तर (स्तरों) या पेपर (पेपरों) के लिए न्यूनतम अहंक मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार है।

जहां उम्मीदवार कुल योग्यताक्रम (मेरिट)/अंकों के आधार पर एक से अधिक वर्ग तथा/या विचार वर्ष (कंसीड्रेशन) में अन्यथा पात्र हों, विशिष्ट चयन सूची में उन्हें शामिल किया जाना उपयुक्त समय पर उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर उपलब्ध वर्ग-वर्ष पर निर्भर करेगा। अतः, उसके योग्यताक्रम के आधार पर, तथा रिक्ति तथा पात्रता की अन्य शर्तों के अध्यधीन उम्मीदवार की वरीयता को ध्यान में रखते हुए उसे उपयुक्त चयन सूची (वर्ग और वर्ष) में रखा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का नाम किसी विशिष्ट वर्ग के लिए, विशिष्ट वर्ष हेतु चयन सूची में शामिल किया जाता है, तो अन्य सूची (सूचियों) में शामिल करते हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष (2018) में वर्ग I, III, IV, VII, VIII तथा IX के लिए जिन रिक्तियों को भरा नहीं जा सका उनको अगले रिक्ति वर्ष हेतु अग्रेनीत किया जाएगा। यह प्रावधान वर्ग VI & X पर लागू नहीं होगा। वर्ग II एवं V की परीक्षा

में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के मामले में उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2018 में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित उन व्यक्तियों, जिन्हें भरा नहीं जा सका हो, को अगली परीक्षा के लिए अग्रेनीत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक श्रेणी की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित, उम्मीदवारों के अंतिम चयन का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन 36012/16/2019-स्था.(आर.) के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 629/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन किया जाएगा।

नोट:- उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझा लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। अतः कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

9. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा। आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

10. परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से पात्र और योग्य है:


बशर्ते आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

11. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा किसी और कारण से सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबन्ध-विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में ‘स्थानान्तरण’ पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/ सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा/आसूचना ब्यूरो/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-ग/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/आसूचना ब्यूरो आशुलिपिक सेवा ग्रेड -II/ सशस्त्र सेना

मुख्यालय आशुलिपिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में किसी पद पर उसका अपना धारणाधिकार (लियन) नहीं है तो वो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

हालांकि, यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

[फा.सं.06/02/2022-सीएस-। (पी)- खण्ड 1]


(राजत कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :-

आग 1

- (क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।
(ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपि परीक्षा।

टिप्पणी I - वर्ग IV,V VI,VII और IX हेतु प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित समय पर अर्हक आशुलिपि परीक्षा देना होगा। तथापि, केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के साथ-साथ आशुलिपिक परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं।

टिप्पणी II - उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र पर मुहैया कराए गए कम्प्यूटरों (पीसी) पर अपनी आशुलिपि टिप्पणियों का लिप्यंतरण करना होगा।

आग ॥

उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अधिकतम अंक 100 होंगे:-

- (i) जिन्होंने लिखित परीक्षा में, आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग I,II,III और VII श्रेणियों के लिए) और
(ii) जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग IV,V,VI,VII और IX श्रेणियों के लिए)।

टिप्पणी I: सेवा अभिलेख (अर्थात बैठक के दौरान मूल्यांकन बोर्ड को प्राप्त हुई अधिकारियों की एपीएआर) के मूल्यांकन में अर्जित अंकों की गणना ऐक निर्धारण हेतु की जाएगी। मूल्यांकन बोर्ड द्वारा एपीएआर का एक बार मूल्यांकन कर लिए जाने के उपरांत, बाद की तिथि, एपीएआर ग्रेडिंग आदि में किसी परिवर्तन सहित किसी भी परिस्थिति में इसके पुनः मूल्यांकन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II: सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अंक होने चाहिए। इसलिए, सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में 40% (चालीस प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम पर ऐक निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा:-

पेपर संख्या	विषय	पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि
1.	सामान्य अध्ययन और भारत के संविधान और सरकारी तंत्र, संसद की परिपाटी और कार्य की सामान्य जानकारी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
2.	भारत सरकार सचिवालय और संबंध कार्यालयों में प्रक्रिया और परिपाटी तथा सेवाओं की संगत श्रेणियों की आवश्कता को विधिवत ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय एवं सेवा नियम	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
3.	टिप्पण एवं प्रारूपण, सार लेखन	विस्तृत	200	3 घंटे
	सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन		100	
	कुल अंक -		600	

3. गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में)

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए शास्ति (ऋणात्मक अंकन) लगाई जाएगी।

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अंकों में से एक तिहाई अंकों की कटौती की जाएगी।

- (ii) यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों में से एक सही भी हो तथा उस प्रश्न के लिए भी उपर्युक्त शास्त्र होगी।
- (iii) यदि किसी प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्त्र नहीं लगाई जाएगी।

4. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार होगा।

5. उम्मीदवारों को टिप्पण एवं प्रारूपण और सार लेखन का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। सभी तीनों प्रश्नपत्र / परीक्षा पुस्तिकाएं अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में होंगी।

टिप्पणी 1:- टिप्पण एवं प्रारूपण तथा सार लेखन पेपर के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने के विकल्प का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को अपनी इस इच्छा का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन के संगत कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में परिवर्तन करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2:- प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, हिन्दी की शब्दावली, के साथ तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय, यदि कोई हो, भी कोष्ठक में दे सकते हैं।

टिप्पणी 3:- यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से इतर माध्यम का परीक्षा में उत्तर लिखने में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. अंग्रेजी/हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट का श्रृतलेख शामिल है जिसे उम्मीदवारों को 40/55 मिनट में लिप्यंतरण करना होगा।

7. (i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इष्टहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों भुजाएं प्रभावित - बीए) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को स्क्राइब की सुविधा मांग किए जाने पर, प्रदान की जाएगी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथापरिभाषित बैंचमार्क दिव्यांगताओं की अन्य श्रेणियों वाले व्यक्तियों को अनुबंध-। पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित व्यक्ति लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को अनुबंध III में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, कि संबंधित व्यक्ति की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा इनके परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब अनिवार्य है, प्रस्तुत करने के अध्यधीन, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ii) उम्मीदवार को अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने का विवेकाधिकार है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अनुबंध-II (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% या अधिक है) तथा अनुबंध-IV (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है एवं लिखने में कठिनाई होती है) के प्रोफॉर्मा के अनुसार स्क्राइब का विवरण अर्थात् अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण मांगा जाएगा।

(iii) आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब के साथ-साथ स्वयं के स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीन, लोकोमोटर अक्षमता (दोनों भुजाएं प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु बीस (20) मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। बैंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को अनुबंध-I में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, प्रस्तुत किए जाने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को अनुबंध-III पर दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य

संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में बाधा आती है, प्रस्तुत करने के अध्यय्दीन, प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

टिप्पणी (1): किसी स्क्राइब की पात्रता की शर्तें तथा परीक्षा हॉल के अंदर स्क्राइब का आचरण तथा वहसम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड ख/ग्रेड।) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर लिखने में बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता/सकती है, इन सब बातों का नियमन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इन में से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर संघ लोक सेवा आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ स्क्राइब के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

टिप्पणी (2): दृष्टि बाधा का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

बेहतर आंख और बेहतर करना	खराब आंख उत्तम तरीके से ठीक करना	दिव्यांगता प्रतिशत	दिव्यांगता श्रेणी
1	2	3	4
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से 3/60 तक से कम	20%	I
	3/60 से कमसे कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	30%	II (एक आंख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60 अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित हेमिनाओपिया	6/24 से 6/60	40%	IIIक (अल्प दृष्टि)
	6/60 से 3/60 तक से कम,	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से 3/60 से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों	6/60 से 3/60 तक से कम	70%	III घ (अल्प दृष्टि)

ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	80%	III ड. ग (अल्प दृष्टि)
3/60 से 1/60 तक से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	90%	IV क (दृष्टिहीनता)
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन, कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

टिप्पणी (3): दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टि दोष से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी।

8. परीक्षा में अहंता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का सभी तीन पेपरों में सम्मिलित होना आवश्यक है। आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल सतही जान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक अस्पष्ट लिखावट के लिए काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के विषयपरक पेपर में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और कम से कम शब्दों में की गई सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

12. उम्मीदवार को पेपर-III के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (आर्थात् 1,2,3,4,5,6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

परीक्षार्थी की लेखन संबंधी शारीरिक सीमा दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती.....
(बैचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो
(दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त व्यक्ति हैं,
पुत्र/पुत्री, निवासी (ग्राम/ज़िला/राज्य) हैं की
जांच की है, और यह कहना है कि इनकी दिव्यांगता के चलते शरीरिक क्षमता सीमित है, जो
इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्था का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/
चिकित्सा अधीक्षक

नोट: प्रमाण-पत्र, संबंधित विषय/दिव्यांगता (उदाहरण वृष्टि बाधित - नेत्र रोग विशेषज्ञ,
लोकोमोटर दिव्यांगता - हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया
जाना चाहिए।

स्वयं के स्क्राइब का प्रयोग करने के लिए परिवचन का पत्र

(उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को प्रस्तुत किया जाए)

मैं (दिव्यांगता का नाम) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं,
जो (परीक्षा का नाम) अनुक्रमांक संख्या (परीक्षा केन्द्र का
नाम) जिला (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी योग्यता
..... है।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की
तरफ से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता है, यदि बाद मैं यह पाया जाता है कि
इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो
मैं इस पद के लिए अपने अधिकार तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूँगा।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध-III

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री, निवासी (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु वर्ष की जांच की है जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों के और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/मनोचि कित्सक/विशेष शिक्षक (स्पेशल इयूकेटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम मुहर सहित
स्थान:

दिनांक:

अनुबंध-IV

विशेष दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं (दिव्यांगता का नाम) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक संख्या, (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला, (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता है, यदि बाद मैं यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूँगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

परिवचन

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री मंत्रालय/विभाग में कार्यरत हूं और मेरा नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.जा सं.20/53/2008 सीएस.11 (बी) खण्ड॥ दिनांक 16.12.2011 और का.जा.सं.12/5/2015-सीएस॥ दिनांक 02.11.2015 के तहत अधिसूचित वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड की चयन सूची वर्ष 2003 तथा 2003 (विस्तारित) में क्रम सं..... में उल्लिखित है। मैं यह जानता/जानती हूं कि चयन सूची 2003 (विस्तारित) में वरिष्ठ सचिवालय सहायकों की वरीयता का मामला रिट याचिका सं.8616/2019 और 8454/2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.12.2015 की स्थिति के अनुसार याचिका-कर्ताओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं करने संबंधी माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को यथापूर्व स्थिति के अनुसार बनाए रखने का निर्देश दिया है। उपरोक्त निर्देश के अनुसार, दिनांक 02.11.2015 को अधिसूचित चयन सूची-2003 (विस्तारित) में आने वाले वरिष्ठ सचिवालय सहायकों की स्थिति दिनांक 23.12.2015 को भी समान बनाए रखनी अपेक्षित है। चूंकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवेदकों द्वारा दर्ज ओए सं.4700/2015 और 639/2016 द्वारा उठाए गए मामले में अपना अंतिम निर्णय अभी नहीं दिया है, इसलिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 2013 से आगे की चयन सूची तैयार नहीं की गई है।

2. मैं यह समझता हूं कि सहायक अनुभाग अधिकारियों की वर्ष 2013 के बाद की चयन सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतः 2018 के बाद से अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी रुक गया है। मैं यह भी समझता हूं कि काफी संख्या में सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड से पदोन्नत होकर तदर्थ आधार पर कार्यरत सहायक अनुभाग अधिकारियों सहित, से अध्यावेदन प्राप्त होने पर, सरकार ने, उपरोक्त मुकदमों के बावजूद चयन सूची, 2003 और चयन सूची, 2003 (विस्तारित) के सभी वरिष्ठ सचिवालय सहायकों को पूर्णतया आधार पर अनुभाग अधिकारी/पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करते हुए 2018के लिए अनुभाग अधिकारी हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

i. चयन सूची-2003 (विस्तारित) हेतु वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड की सामान्य वरीयता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक तथा तत्पश्चात उपर्युक्त पैरा-1 में लंबित रिट याचिकाओं पर

अंतिम निर्णय के आधार पर 2013 से आगे के वर्षों के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के अंतिम निपटान के उपरांत दाखिल किसी अन्य न्यायालयी मामले के आधार पर भी, परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को परीक्षा में उनकी पात्रता/ चयन के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

ii. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा (ओं) के अंतिम परिणाम की घोषणा, वर्ष 2013 के लिए सहायक अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात परीक्षा में उनके प्रवेश की अंतिम रूप से पात्रता का निर्धारण होने के पश्चात की जाएगी, जो लंबित रिट याचिकाओं पर दिए गए निर्णय के परिणाम के बाद किया जाएगा।

iii. यह कि, उपर्युक्त लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के उपरांत वर्ष 2013 के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची वरीयता कोटा के तहत तैयार की जाएगी और तदनुसार, जिन अधिकारियों के नाम सहायक अनुभाग अधिकारी चयन सूची-2013 में होंगे और जो वर्ष 2018 की अनुभाग अधिकारी/ पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में अहक होंगे, उनके चयन को मान्य माना जाएगा।

iv. अनुभाग अधिकारी/पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2018 के परिणाम की घोषणा, 'पदोन्नति में आरक्षण' तथा "अपनी योग्यता मामले" के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित एसएलपी संख्या 30261/2011 तथा 31288/2017 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन भी हैं।

3. उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने तथा उन शर्तों को समझने पर जिनके तहत मुझे अनुभाग अधिकारी/पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में प्रवेश लेने की अनुमति दी जा रही है, मैं एतद्द्वारा यह स्वीकार करता हूं कि 2018 के लिए मेरी उम्मीदवारी पूर्णतया अस्थायी है और उपरोक्त सभी शर्तों को मानने का वचन देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

नाम (बड़े अक्षरों में) _____

पदनाम _____

मंत्रालय/विभाग _____

मोबाइल नंबर _____

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम

जहां नियमों, आदशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

पेपर-I

पेपर में समसामयिक सरोकार और महत्व के विषय शामिल किए जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं, भारतीय अर्थ-व्यवस्था और प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की मौजूदा घटनाओं के प्रति बौद्धिक जागरूकता के परीक्षण से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

निम्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी की भी अपेक्षा की जाती है:

- (i) भारतीय संविधान के सिद्धांत
- (ii) लोक सभा और राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्यवाही के नियम।
- (iii) भारत सरकार के तंत्र का संगठन, मंत्रालयों विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पदनामों और विषयों का आबंटन तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध।
- (iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पेपर-II

इस पेपर का उद्देश्य है भारत के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली का गहन तथा विस्तृत परीक्षण लेना। सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली अर्थात् आचरण नियमावली, अवकाश नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली आदि के विस्तृत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। संदर्भ पुस्तिकाओं की सूची (तथापि जो संपूर्ण नहीं है) की अनुशंसा की जाती है:

(वर्ग I, IV, VIII, IX और XI के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका (केवल वर्ग I और IV के लिए)
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौथरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली
9. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली
10. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली
11. आसूचना व्यूरो स्थायी आदेश (केवल वर्ग VIII के लिए)

(वर्ग II और V के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
4. मूल तथा अनुरूपक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौथरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
7. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली
8. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली
9. भारतीय विदेश सेवा (पी एल सी ए) नियमावली
10. भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार
11. सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना।
12. भारतीय विदेश सेवा (आचरण एवं अनुशासन) नियमावली

(वर्ग III और VII के लिए)

1. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका
2. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
3. भारतीय रेल प्रशासन तथा वित्त (अध्याय V, VI, VIII तथा IX को छोड़कर)
4. भारतीय रेल वित्तीय कोड खंड I (अध्याय II तथा VI को छोड़कर)
5. भारतीय रेल स्थापना कोड खंड-I
6. रेल सेवा (आचरण) नियमावली, 1966
7. रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1968

(वर्ग VI और X के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियाँ।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौथी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली
9. वित्तीय विनियम भाग-I (संशोधित संस्करण)

पेपर-III

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पण और प्रारूपण तथा अवतरण से संक्षेपण तैयार करें।